प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखीमपुर-खीरी।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक** 08 **दिसम्बर, 2022**

विषयः- विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र-139 गोला गोकरननाथ के विकास कार्यो हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विकास कार्यो हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-13/2022/173/अडतीस-9-2022, दिनांक-19.10.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तत्समय लखीमपुर-खीरी जनपद के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 139-गोला गोकरननाथ का स्थान रिक्त होने के कारण उक्त क्षेत्र हेतु धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-''4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-06-विधान मण्डल के सदस्यों की संस्तुति के अनुसार विकास सम्बन्धी कार्य-42-अन्य व्यय'' में रू0 1512.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1512.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-139 गोला गोकरननाथ के उप चुनाव के फलस्वरूप नव निर्वाचित मा0 सदस्य को कुल धनराशि रू0 150.00 लाख जी0एस0टी0 सहित (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र, जी0एस0टी0 सहित) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानित तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) यदि किसी विधान सभा/विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त है, तो उस क्षेत्र की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से देय/आगणित जी0एस0टी0 के समतुल्य ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(5) विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही का दायित्व सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

(6) सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रति अपने-अपने जनपद से सम्बन्धित मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) आहरित की जाने वाली धनराशि सम्बन्धित डीआरडीए के डिपाजिट खाते में स्थानांतरित की जायेगी एवं इस डिपाजिट खाते से इसका व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07.06.2022 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-''4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-06-विधान मण्डल के सदस्यों की संस्तुति के अनुसार विकास सम्बन्धी कार्य-42-अन्य व्यय'' के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07.06.2022 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

संख्याः-16(1)/2022/198/अडतीस-9-2022, तददिनाँक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद द्वारा सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- निजी सचिव, मा0 सभापति विधान परिषद, उ0प्र0।
9- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी , ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
12- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी उ0प्र0।
14- कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी उ0प्र0।
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
16- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

राजीव कुमार वत्स
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।